"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106] रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 मार्च 2017— चैत्र 6 , शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4–49/2006/18. —— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 58 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में :–

अनुसूची–तीन में, सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
" 7	सहायक वर्ग–तीन	भृत्य/दफ्तरी	1. हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं 05 वर्ष की नियमित सेवा 2. वेतनवृद्धि की पात्रता के लिये, उन्हें सहायक ग्रेड–तीन के पद में पदोन्नति के पश्चात् 03 वर्ष की कालावधि के भीतर कम्प्यूटर ज्ञान की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2017

क्रमांक एफ 4–49/2006/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–49/2006/18, दिनांक 23–3–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 23rd March 2017

NOTIFICATION

No. F 4-49/2006/18.— In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub-section (1) of Section 58 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation (Appointment and Conditions of Service of Officers and Servants) Rules 2007, namely :-

AMENDMENT

In schedule of the said rules, -

In schedule-III, for serial number 7 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"7	Assistant Grade-III	Peon/Daftari	(1) passed Higher Secondary (10+2) Examination and five years of regular service. (2) For eligibility of increment it is compulsary to pass the departmental examination of Computer knowledge within period of 03 years after promotion in the post of Assistant Grade-III."

By order and In the name of Governor of Chhattisgarh
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.